"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 जुलाई 2005 — आषाढ़ 14, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग

[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ - 10/23/2005/वा.क.(पं.)/पांच (36). — रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा धारा 79 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 816-635, बी.एस.आर. दिनांक 24-02-1975 में और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी के उपशीर्ष छूट तथा निर्बन्धन के क्रमांक (46) के बाद निम्नानुसार क्रमांक (47) जोड़ा जाता है :-

(47) उक्त अधिनियम की रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी के अनुच्छेद-1 के अधीन प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क में कमी करते हुये, " ऋणों के प्रतिभूतिकरण अथवा प्रतिभूतियों से अन्तर्निहित समनुदेशित ऋण संबंधी विलेखों के ऋण की रकम पर रुपये 50,000/- की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए प्रति हजार या उसके भाग पर पचास नये पैसे".

2. उक्त अधिसूचना इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2005

क्रमांक एफ -10/23/2005/वा.क.(पं.)/पांच (36).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/23/2005/वा.क.(पं.)/पांच (36), दिनांक 05-07-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 5th July 2005

NOTIFICATION

No. F-10/23/2005/C.T. (R)/V (36). — In exercise of the powers conferred by section 78 of the Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908), State Government hereby makes the following further amendment in to the notification No. 816-635-VSR, dated 24-02-1975 published under section 79 of the said act, namely :-

AMENDMENT

In the said notification in "The Table of Registration Fees", under the sub-heading "exemption and reduction" an item (47) shall be added after item (46), namely :-

(47) State Government hereby reduces the registration fees chargeable under Article-1 of "The Table of Registration Fees" to fifty naye paise for every thousand rupees or part there of subject to a maximum of Rs. 50,000 on loan documents of securitisation of loans or of assignment of debt with underlying securities.

2. This notification will come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.